

प्रारूप-8
नियम 7(2) देखिये



**सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र**

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या AGR/08644/2020-2021

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आश्रय दिव्य फाउण्डेशन, कैलाश मन्दिर के पास, सिकन्दरा, आगरा, आगरा, 282007 को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
यह प्रमाण पत्र दिनांक 16/02/2026 तक विधिमान्य होगा।
आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।



Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4

Date: 17/02/2021 12:03:14 PM, Location: Agra.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AE 965432

आर्य समाज प्रकाशन /
अ. 111 / अ. 111
अ. 111 / अ. 111



२
 वाणिज्य विभाग
 कार्यालय, उप निबंधक कार्यालय, सोमनाथी एवं चिदम
 २५-२-१०११

भास्तीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH.

32AE 965433

आलय दिव्य माउडेशन /

आलय
आलय

AGR-0030313



वरिष्ठ गणपक

कार्यालय: उत्तर प्रदेश गैर न्यायिक मुद्रा एवं चिह्न
आलय, आलय

2521121

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :
 संस्था का पता / Society's Address :
 संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :
 संपर्क संख्या / Contact Number :

आश्रय दिव्य फाउण्डेशन
 कैलाश मन्दिर के पास, सिकन्दरा, आगरा, Agra, 282007
 सम्पूर्ण उ०प्र०
 9368717886

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(यें उद्देश्य

खादी पंचायत
 गाम, उद्योग, विज्ञान साहित्य या शिक्षा उपयोगी जानकारी के जनसामान्य के लिये रंग चित्रों या अन्य कला प्राकृतिक यांत्रिक / बहुउद्देशीय
 उद्योग, ग्रामीण विकास, ललित कला की के प्रसार के लिये स्थायित्व पुस्तकालयों/ कृतियों/ संग्रहालयों/ इतिहास के दार्शनिक
 उद्योग, प्रोन्नति, लिये, (राजनीतिक शिक्षा), वाचनालयों से संबंधित, गैलरियों, संकलन,

से सम्बंधित हैं)

1- संस्था आश्रय दिव्य फाउण्डेशन के उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटरकॉलेज आवश्यकता होने पर डिग्री कॉलेज, तकनीकी संस्थान, आई०टी०आई निशुल्क चिकित्सा संस्थान, सी०बी०एस०ई० विद्यालय, मदरसा तथा तकनीकी शिक्षा दूरस्थ शिक्षा, ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा, इंजीनियरिंग संस्थानों से सम्बन्धित शोध कार्य आदि की स्थापना करना और उनका निशुल्क विधिवत संचालन कर बालक, युवक, युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।

2- संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था तथा उन्हें छात्रवृत्तियाँ देना व उनकी सुविधा हेतु निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीडा केन्द्रों की स्थापना करना ।

3- संस्था का उद्देश्य अहसास बच्चों को शैक्षणिक भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों, बाल आश्रम, वृद्ध आश्रम व शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना ।

4- संस्था का उद्देश्य केन्द्रीय व राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कडाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वस्तुकला, दस्तकारी, दरी कालीन, ड्राईंग पेंटिंग, कला प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नेटवर्किंग एवं फैशन डिजायनिंग एवं ब्यूटीशियन आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

5- संस्था का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े एवं अशिक्षित वर्गों में स्वयंसेवकता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, धर्मार्थ चिकित्सालय आदि की स्थापना व उनके संचालन हेतु संस्था की रोजगार परक प्रशिक्षण देना एवं निःशुल्क योग व प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करना ।

6- संस्था का उद्देश्य सभी प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना ।

7- संस्था का उद्देश्य भुण हत्या रोकने का प्रयास करना तथा पर्यावरण के शुद्धीकरण हेतु पौलोथी की प्रति लोगों को जागरूक करना ।

8- संस्था का उद्देश्य निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना, नेत्र चिकित्सा शिविरों, रक्तदान शिविरों के आयोजन शासन द्वारा प्रदान की सूक्ष्म अनुमति के उपरान्त करना ।

9- संस्था का उद्देश्य दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, आगजनी, एक्सीडेंट आदि के समय पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना, उन्हें निःशुल्क दवा भोजन, वस्तु आदि की मदद पहुँचाना ।

10- संस्था का उद्देश्य समाज के उपेक्षित लोगों जैसे अंधे, कुष्ठरोग व मूक बधिरों, विकलांगों व लाचार, वृद्धों के कल्याण के लिए कार्य करना व बालाश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम तथा चैरिटेबिल हॉस्पिटल की स्थापना करना और समय-समय पर दूध, वस्त्र, अनाज, कम्बल, फलों व दवाओं का निःशुल्क वितरण करना एवं रैन बसेरों, शौचालयों तथा पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना ।

11- संस्था का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आने वाले लघु व कुटीर उद्योग की स्थापना कर मोमबत्ती, अगरबत्ती, साबुन आदि बनाने का श्रमिकों व बेरोजगारों को निःशुल्क रोजगार की शिक्षा दिलाने का प्रयास करना तथा शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल खरीदना एवं तैयार माल को विक्रय करना, प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ व्यय करना ।

12- संस्था का उद्देश्य जन सामान्य में अध्यात्मिक चिंतन ज्ञान का प्रसार एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों व कुसंगतियों को दूर करने का प्रयास करना ।

13- संस्था का उद्देश्य समाज को अध्यात्मिक, शैक्षणिक, सेवार्थ कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करना ।

14- संस्था का उद्देश्य मानव को भगवत प्राप्ति के लिए सहज योग प्रशिक्षण प्रदान कर मानवता से उंचा उठाकर देवत्व प्रदान करना ।

15- संस्था का उद्देश्य दौंग, पाखण्ड आडम्बरों एवं अन्धविश्वासों को दूर करने के पूर्ण प्रयास करना एवं वर्ग भेद व साम्प्रदायकों से अलग अनेकता में एकता कर आपसी प्रेम सिखाना ।

16- संस्था का उद्देश्य बिना किसी जाति वाद भेदभाव के सेवा करना एवं उनमें परस्पर एकता शान्ति व सद्भाव बनाये रखना तथा लोगों में जनसेवार्थ की भावना जायत करना ।

17- संस्था का उद्देश्य मानव समाज में दुर्गुणों तथा बुराईयों को समाप्त कर व्यसन मुक्त आदर्श समाज निर्मित करने का प्रयास करना ।

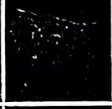
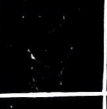
18- संस्था का उद्देश्य वृद्धाश्रम की स्थापना करना एवं वृद्ध माता-पिताओं को स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके भरण-पोषण आदि की व्यवस्था करना तथा भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना उसके प्रति आस्था निर्माण करके उन्हें देश का पुण्योद्देश संस्कारी नागरिक बनाने की व्यवस्था करना ।

19- संस्था का उद्देश्य वृद्धाश्रम, गौशाला, धर्मार्थ संस्थान, शिक्षा संस्थान, धर्मशाला, देवालय की स्थापना व उसका जीर्णोद्धार करना व उसका विकास एवं उचित देखभाल का प्रबन्ध करना ।

Shiner अश्विनी Jatin 980991
 सत्य प्रतिलिपि
 वरिष्ठ सहायक
 कार्या: उप निदेशक, फार्म सोसाइटीज एवं चिदस
 आगरा क्षेत्र, आगरा
 25/10/21

- संस्था का कार्यक्षेत्र वृक्षारोपण, प्रदूषण नियन्त्रण, जनसंख्या नियन्त्रण केन्द्रों, नशाबन्दी कार्यक्रमों आदि का संचालन करना।
- संस्था का उद्देश्य योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार करना।
- संस्था का उद्देश्य प्रदेश में तेजी से लुप्त मूल प्रजापति गोंवश रक्षा संबद्धन विकास व गौशाला की स्थापना करना एवं उसके द्वारा आयोजित सेमिनार आदि में भाग लेना व सहयोग करना।
- 24- संस्था का उद्देश्य निःशुल्क दहेज रहित सामूहिक विवाहों के आयोजन में सहयोग करना तथा गरीब, निर्धन कन्याओं की शादी करवाना तथा विधवा परित्यक्ताओं को पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहित करना।
- 25- संस्था का उद्देश्य उपसमिति तैयार कराकर कल्याणकारी योजनाओं और समाज सेवायें प्रदान कराना व समाज के व्यक्तियों में जागरूकता उत्पन्न कर सही मार्गदर्शन कराना।
- 26- संस्था का उद्देश्य राज्य सरकार/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेंगे।
- 27- संस्था का उद्देश्य अंधी, लंगडी, लूली, सूखी, बीमार, असहाय, अनाथ, अनाश्रित गऊओं व अन्य गौ वंश हेतु गौशाला का निर्माण करना एवं गौशाला में उचित सुविधायें उपलब्ध कराके उसका संचालन करना।
- 28- संस्था का उद्देश्य योग ध्यान प्राणायाम के शिविर आदि द्वारा स्वस्थ रहने की प्रेरणा प्रदान करना।
- 29- संस्था का उद्देश्य अलाभकारी अव्यवसायिक एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए है।
- 30- संस्था का उद्देश्य गृह उद्योग को अपनाने की प्रेरणा, मार्गदर्शन देना। स्वच्छता जागरूकता। दिव्यांग जनों को स्वस्थ एवं आत्म निर्भर बनाना।
- 31- संस्था का उद्देश्य बुजुर्गों को आपसी सहयोग एवं प्रेम से रहने की प्रेरणा देना तथा सहयोग प्रदान करना। जरूरत मन्दों को इन्साफ दिलाने में सहयोग करना। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में मार्गदर्शन देना।
- 32- संस्था का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना। भारत की संस्कृति को जीवन्त रखने हेतु सांस्कृतिक कार्य कर्म। समाज की एकता को बढ़ावा देना।
- 33- संस्था का उद्देश्य योग एवं ध्यान द्वारा नशा मुक्ति।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवम् व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है /
Details of office bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्री निर्मल गिरि	स्व०श्री गिरि	किशन 71ए, कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	संस्थापक स० सेवा		9368717886		
2.	श्री अभिषेक गोस्वामी श्री निर्मल गिरि		कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	स० सेवा		9368717886		
3.	श्रीमती शकुंतला	श्री निर्मल गिरि	कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	उपाध्यक्ष	ग्रहणी	9368717886		
4.	श्री शशीकान्त श्री गोस्वामी	मुनालाल गोस्वामी	150-151, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा, आगरा	सचिव	स० सेवा	9368717886		
5.	श्री विजय श्रीवास्तव	राजकुमार श्रीवास्तव	40-ए/एस/के/2, सोमरन कुंज कॉलोनी, अशेषा हास्पिटल के समीप, सिकन्दरा, आगरा।	उपसचिव	व्यापार	9368717886		
6.	श्री विजय कुमार जैन	स्व०श्री जैन	अमरनाथ 71ए, कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	कोषाध्यक्ष	व्यापार	9368717886		
7.	श्री जतिन गोस्वामी	श्री सुरेन्द्र गोस्वामी	1/2027, गली नं-23, पूर्वी रामनगर, श्री रामपार्क के पास, शाहदरा, दिल्ली	सदस्य	व्यापार	9368717886		
8.	श्री शिवम गोस्वामी	श्री निर्मल गिरि	कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	सदस्य	अध्ययन	9368717886		
9.	श्री आनन्द अग्रवाल	श्री लालचन्द्र	कमला नगर, आगरा	सदस्य	व्यापार	9368717886		

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उच्च निष्ठा फर्म्स सोसाइटीज एवं विदस
आगत क्षेत्र, आगरा

25/11/21

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
	श्री निर्मल गिरि	स्व० श्री किशन गिरि	71ए, कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	स० सेवा
	श्री अभिषेक गोस्वामी	श्री निर्मल गिरि	कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	स० सेवा
	श्रीमती शकुंतला	श्री निर्मल गिरि	कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	ग्रहणी
	श्री शशीकान्त गोस्वामी	श्री मुंनलाल गोस्वामी	150-151, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा, आगरा	स० सेवा
	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	श्री राजकुमार श्रीवास्तव	40-ए/एस/के/2, सोमरन कुंज कॉलोनी, अशेषा हास्पिटल के समीप, सिकन्दरा, आगरा।	व्यापार
	श्री विजय कुमार जैन	स्व० श्री अमरनाथ जैन	71ए, कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	व्यापार
	श्री जतिन गोस्वामी	श्री सुरेन्द्र गोस्वामी	1/2027, गली नं-23, पूर्वी रामनगर, श्री रामपार्क के पास, शाहदरा, दिल्ली	व्यापार
	श्री शिवम गोस्वामी	श्री निर्मल गिरि	कैलाश मन्दिर, सिकन्दरा, आगरा	अध्ययन
	श्री आनन्द अग्रवाल	श्री तालचन्द्र	कमला नगर, आगरा	व्यापार

निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है

दिनांक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

recd.

श्री निर्मल गिरि
निर्देशक
दिनांक 13.12.2021

अभिषेक शिवम विनोदकुमार

Anand Jatin goswami

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या. उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्ठे
आगरा क्षेत्र, आगरा
25/12/21

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :
संस्था का पता / Society's Address :
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :
संपर्क संख्या / Contact Number :

आश्रय दिव्य फाउण्डेशन

कैलाश मन्दिर के पास, सिकन्दरा, आगरा, Agra, 282007
सम्पूर्ण उ०प्र०
9368717886

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee
आजीवन सदस्य / Life Time Member	2100
विशेष सदस्य / Special Member	0
संरक्षक सदस्य / Patron Member	5100
सामान्य सदस्य / General Member	1100

सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति धन या अचल रूप में देगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे संस्था, विशिष्ट सदस्यों को उनके सामाजिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर चयनित करती है उनके लिए सदस्यता शुल्क का निर्धारण कार्यकारिणी करेगी संस्था के संस्थापक ही संरक्षक सदस्य कहलाते हैं संस्था स्थापना के लिया इनके द्वारा संस्था के कोष में दी गयी धन या अचल सम्पत्ति ही इनका सदस्यता शुल्क होगा जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee



साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :

बैठके / Meetings :

सूचना अवधि / Notice period :

गणपूर्ति / Quorum :

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date :

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body :

साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, विशेष सदस्य / Special Member, संरक्षक सदस्य / Patron Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अर्जडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी।

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जावेगी।

1. प्रबंधकारिणी समिति का समयसमय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना। 2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना। 3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Anand

Shivam

Handwritten signature

Jatin goswami

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उप निबंधक फर्म्स गोसाइयोज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र, आगरा

15/11/21

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपसचिव-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, सचिव-1, सदस्य-3, संस्थापक-1 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 9 होंगे।

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अर्जेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

1- संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना। 2- नियमों-विनियमों में संशोधन; परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना। 3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। 4- संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, चन्दा, ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यों में व्यय करना। 5- संस्था के विकास हेतु उप इकाईयाँ एवं उप समितियों की स्थापना/घरिटेबिल कार्यों में व्यय करना। 6- संस्था अपने विकास कार्यों के लिए सम्पत्ति का क्रय-विक्रय गठन करना व उनका संचालन करना। 7- संस्था अपने विकास कार्यों के लिए सम्पत्ति को बैंक में बन्धक रख सकती है। 7- संस्था के खाते का संचालन संस्थापक एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से नियमित रूप से किया जाएगा।

प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

प्रबंधकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा, जिसमें संस्थापक-1 अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, सचिव-1, उपसचिव-1, कोषाध्यक्ष-1 एवं सदस्य-3 होंगे। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है। जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होंगे।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

संस्थापक

1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना। 2- मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना। 3- संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्तों के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उनका भुगतान करना। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना। 4- संस्था की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान-अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना। 5- साधारण सभा के सदस्य बनाने का अधिकार संस्थापक का होगा। 6- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना।

अध्यक्ष

1- संस्था के संस्थापक द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना। 2- संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना तथा संस्था की आम देखभाल करना। 3- संस्था की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान-अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना। 4- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना।

उपाध्यक्ष

सचिव

उपसचिव

कोषाध्यक्ष

सदस्य

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना, सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना। 2- संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, संस्थापक की स्वीकृति से मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना। 2- संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। 3- संस्था के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना। 4- संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना। 5- संस्था के आय-व्यय विवरण को रखना। 6- संस्थापक एवं अध्यक्ष द्वारा सोपे गये कार्यों को करना। 7- संस्था के विकास हेतु कार्य करना।



- Jatin Goswami
Anand Singh

अभिषेक Jatin Goswami
Anand Singh

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ महायक
कार्यालय उप निबंधक फार्म रोमाइटीज एवं चिदस
आगरा क्षेत्र, आगरा
15-04-2019

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

पदाधिकारी/Post

अध्यक्ष

संस्थापक

आय के स्रोत / Source of Income

1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Maintenance amount
5. Membership Fee
6. Other Sources
7. Remittance
8. Self Money Generation

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष / Society's Account Details:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय बैंक अथवा शिड्यूलड बैंक, पोस्ट ऑफिस, या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा, जिसका संचालन अध्यक्ष एवम संस्थापक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व / Responsibility for court operations of the society by or against :

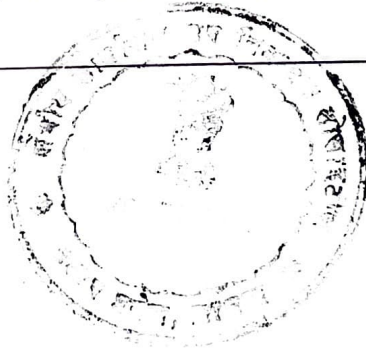
संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के संस्थापक द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(ऑडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
 - a) साधारण सभा / General Body.
 - b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टॉक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.



विघटन / Dissociation :

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनांक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

Chicki Red
Bhramar
Santosh Bhatt
अभिषेक

Anand शकुन्तला S.W.A.M
Jatin goswami
विजय प्रतिलिपि

वरिष्ठ महायुक्त
कार्यालय उच्च निबंधक कम्पनी सोसाइटीज एवं चिदस
आगरा क्षेत्र, आगरा
571031

A/C No. 40879658564

CURRENT A/C

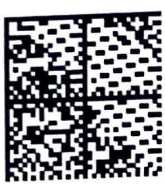


JB219308995IN

AASHRAY DIVYA FOUNDATION

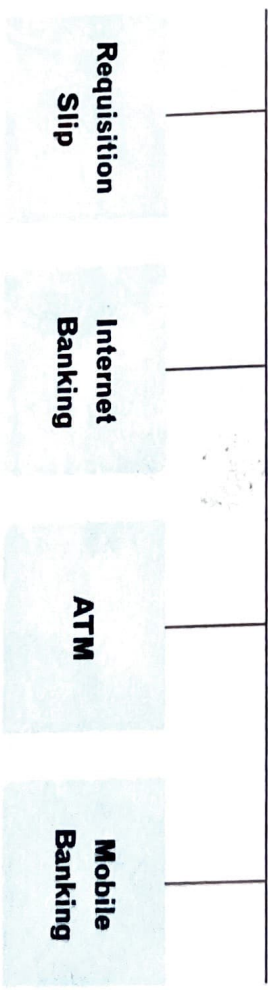
¹
KAILASH MANDIR KE PASS
KAILASH , Agra 282007

If Undelivered Please return to :
STATE BANK OF INDIA
TRANSPORT NAGAR (AGRA) (05556)
PLOT NO. 139-140, SECTOR-3
AGRA , UTTAR PRADESH 282002



Charges applicable for SB account*: Quarterly Avg. Balance>=1 lac and Sr. Citizen: FREE.
QAB upto 1 lac - First 25 cheque leaves free in a FY. Thereafter: Rs.3/- +ST per cheque leaf.
Emergency cheque book from branch (10 leaves set). For current & Saving Bank - Rs.50/-+ST.
Charges applicable for Current Account/ Cash Credit*: First 50 leaves free in a FY. Thereafter Rs. 3/- +ST per cheque leaf.
**Charges are subject to revision from time to time. Please visit our website sbi.co.in for the latest charges.*

A new cheque book request can be lodged through



05556 / R / 238196 - 238245
This cheque book contains 50 leaves.

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड

Permanent Account Number Card

AAITA4576D

नाम / Name

AASHRAY DIVYA FOUNDATION

निगमन / गठन की तारीख

Date of Incorporation/Formation

17/02/2021



104872